

7. **आरक्षण:**

- (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं.-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी से निर्गत जाति-सह-क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

8. **शुल्क:**

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 100/- (एक सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 150/- (एक सौ पचास) रुपये तथा अन्य के लिए 375/- (तीन सौ पचहत्तर) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 425/- (चार सौ पचीस) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें। इससे भिन्न किसी अन्य रूप में प्राप्त शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

9. **अन्य:**

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र एवम् अंक पत्र, जाति प्रमाण (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र सहित) एवम् विकलांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति (स्वअभिप्रमाणित) अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
- (ii) **अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।**

10. **अंतिम तिथि:**

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि शुक्रवार, दिनांक 07.11.2014 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना